

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 09.11.2022

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 13 जिलों (बांरा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा-एवं श्रीगंगानगर) की 14 नगरीय निकायों में उप चुनाव माह नवम्बर, 2022 करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 25.11.2022 को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 25.11.2022 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

३०

(शैली किशनानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

## राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)  
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/ 2022/ 11591

दिनांक : 14.11.22

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांरा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पिकी शर्मा)  
सहायक सचिव

राजस्थान  
आयोग